भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1030
उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024
सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना

1030. डॉ. मोहम्मद जावेद: श्री तनुज पुनिया:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों में राज्य-वार कुल कितने नामांकन हुए हैं;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान कुल कितने शिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा किया है;

(ग) क्या सरकार के पास वर्ष 2025-26 तक 46 लाख शिक्षुओं को नामांकित करने के राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई ठोस रणनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाने और प्रशिक्षु कार्यक्रमों को बाजार की मांग के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का उद्देश्य शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत नियमों के तहत नियोजित शिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। इस स्कीम को वर्ष 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखने के लिए बढ़ाया गया था। चूंकि यह स्कीम अगस्त 2016 से शुरू हुई थी, इसलिए डेटा अगस्त 2016 से 31 अक्तूबर, 2024 तक का है। इस स्कीम की शुरुआत से 31 अक्तूबर, 2024 तक एनएपीएस के तहत कुल 37.94 लाख शिक्षुओं को नियोजित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) इस स्कीम की शुरुआत से लेकर 31 अक्तूबर, 2024 तक प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षुओं की संख्या 21.40 लाख है।

(ग) और (घ) एनएपीएस के शुभारंभ के बाद से, मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षुओं की संख्या वर्ष 2016-17 में 1.11 लाख से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 9.31 लाख हो गई है। एनएपीएस-2 के तहत वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 46 लाख युवाओं का लक्ष्य है। शिक्षुता संबद्धता को सक्षम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

 उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षुता पोर्टल की कार्य-क्षमता को बढ़ाया गया है, जिससे प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

 राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम-2 (एनएपीएस-2) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

 मूल प्रशिक्षण प्रदाता (बीटीपी) और तृतीय पक्ष एग्रीगेटर्स के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं।

 उद्योगों को छह (6)/नौ (9)/बारह (12) महीने की अवधि के प्रासंगिक वैकल्पिक ट्रेड/ पाठ्यक्रम प्रदान करने का अवसर दिया गया है।

मीडिया और एडवोकेसी के संदर्भ में, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) एक मंच के रूप में भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों/उद्योगों में मौजूद विभिन्न शिक्षुता अवसरों के बारे में युवाओं को जागरूकता प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मासिक आधार पर देश भर में पीएमएनएएम का आयोजन कर रहे हैं। यह राज्य के कुल जिलों की संख्या के 1/3 (एक-तिहाई) में प्रत्येक दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है ताकि सभी जिलों को तिमाही में एक बार और वर्ष में चार बार कवर किया जा सके। अब तक, जून 2022 से अक्तूबर 2024 तक पूरे भारत में 4,426 स्थानों पर पीएमएनएएम का आयोजन किया गया है, जिसमें 5.29 लाख उम्मीदवारों और 32,270 प्रतिष्ठानों ने भाग लिया है।

शिक्षुओं के नियोजन में वृद्धि को और अधिक बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:

 राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) और केंद्रीय स्तर पर स्कीम की प्रगति की निगरानी के लिए एक स्कीम निगरानी तथा समीक्षा समिति (एसएमआरसी) और एनएपीएस-2 के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राज्य कार्यान्वयन समीक्षा समिति (एसआईआरसी) का गठन किया गया है।

 उम्मीदवारों, प्रतिष्ठानों, उद्योग संघों/वाणिज्य मंडलों, उद्योग समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए हितधारकों के साथ कार्यशालाएँ, सेमिनार, वेबिनार आदि, एमएसएमई, शैक्षणिक संस्थानों, कुशल भारत प्रशिक्षण भागीदारों, प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके), आईटीआई, जेएसएस आदि की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

 मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के प्रधान सचिवों, निफ्टी 500 और शीर्ष सीएसआर 500 कंपनियों को अर्ध शासकीय पत्र भेजे गए हैं।

 एमएसएमई के क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत शामिल क्लस्टरों की सूची राज्यों के साथ साझा की गई है। राज्यों को आरडीएसडीई और एसएससी के साथ समन्वय में शिक्षुओं की सक्रिय भागीदारी के लिए उद्योग समूहों को संवेदनशील बनाना होगा।

 मंत्रालय की ओर से अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को डीओ पत्र भेजे गए हैं, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों को शिक्षुओं की भागीदारी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें।

 प्रशिक्षण महानिदेशालय से अनुरोध किया गया है कि वे शिक्षुता के अवसरों के लिए 15 लाख आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों के पंजीकरण की सुविधा के लिए आईटीआई प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

 विभिन्न उद्योग संघों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (सीपीएसयू) के साथ सहभागिता शुरू की गई है।

 क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई), राज्य, क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) और तृतीय पक्ष एग्रीगेटर्स (टीपीए) शिक्षुता नियुक्ति की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है।

<u>अनुबंध</u>

''राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम'' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में।

अगस्त 2016 से 31 अक्तूबर, 2024 तक राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत राज्य-वार शिक्षुओं की नियुक्ति निम्नानुसार है:

राज्य	वित्तीय वर्ष-16-17	वित्तीय वर्ष-17-18	वित्तीय वर्ष-18-19	वित्तीय वर्ष-19-20	वित्तीय वर्ष-20-21	वित्तीय वर्ष-21-22	वित्तीय वर्ष-22-23	वित्तीय वर्ष-23-24	वित्तीय वर्ष-24-25	सकल योग
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					3	9	41	48	78	179
आंध्र प्रदेश	6,028	6,075	5,986	3,860	4,394	15,722	16,203	21,701	10,787	90,756
अरुणाचल प्रदेश	4	1	2		3	18	42	65	34	169
असम	570	1,068	1,516	2,204	2,452	14,006	9,661	8,173	4,080	43,730
बिहार	2,663	6,074	5,923	1,155	1,237	6,476	5,543	5,317	3,434	37,822
चंडीगढ़	48	130	129	346	280	813	671	1,227	1,262	4,906
छत्तीसगढ	1,142	934	1,894	5,637	1,653	2,660	4,881	5,259	3,695	27,755
दिल्ली	1,073	1,410	2,057	4,937	7,784	17,799	15,818	15,956	11,705	78,539
गोवा	199	245	334	1,720	2,032	3,432	4,406	11,882	6,571	30,821
गुजरात	14,430	16,623	47,565	45,107	56,911	69,567	76,226	83,955	48,464	4,58,848
हरियाणा	5,186	17,683	20,405	18,920	31,853	42,343	62,865	66,720	38,096	3,04,071
हिमाचल प्रदेश	968	1,650	1,572	1,898	1,767	5,669	6,825	10,212	5,513	36,074
जम्मू और कश्मीर	451	230	345	304	260	832	989	859	586	4,856
झारखंड	4,371	4,593	5,405	2,133	5,034	8,258	9,152	11,882	4,497	55,325
कर्नाटक	9,097	10,446	9,573	13,764	17,276	42,084	58,523	78,456	52,249	2,91,468
केरल	2,687	4,315	4,309	3,899	6,426	8,975	11,275	13,104	8,626	63,616
लद्दाख					6	18	28	66	43	161
लक्षद्वीप	5	-	-		18	4	9	6	1	43
मध्य प्रदेश	3,857	5,019	6,691	6,942	9,522	17,093	21,205	22,707	15,695	1,08,731
महाराष्ट्र	25,173	35,137	35,246	36,617	71,475	1,46,865	1,85,999	2,63,245	1,58,591	9,58,348
मणिपुर	8	5	39	16	11	90	32	18	176	395
मेघालय										

राज्य	वित्तीय वर्ष-16-17	वित्तीय वर्ष-17-18	वित्तीय वर्ष-18-19	वित्तीय वर्ष-19-20	वित्तीय वर्ष-20-21	वित्तीय वर्ष-21-22	वित्तीय वर्ष-22-23	वित्तीय वर्ष-23-24	वित्तीय वर्ष-24-25	सकल योग
	3	-	3	51	105	117	181	212	159	831
मिजोरम	1	-	-	4	1	4	4	12	114	140
नागालैंड	24	4	4	14	1	27	22	15	9	120
ओडिशा	2,938	3,890	4,024	3,391	3,681	8,296	10,458	10,755	4,731	52,164
पुदुचेरी	266	328	378	481	299	1,090	1,343	2,469	2,430	9,084
पंजाब	2,423	1,754	2,046	2,856	4,459	11,659	15,361	14,761	8,742	64,061
राजस्थान	1,994	3,098	3,533	4,073	6,417	9,473	15,204	18,230	13,525	75,547
सिक्किम	33	22	5	128	162	308	202	298	269	1,427
तमिलनाडु	5,981	10,219	9,103	13,602	24,912	49,929	72,311	1,01,553	58,791	3,46,401
तेलंगाना	5,129	4,812	5,801	9,654	13,996	38,454	31,821	37,774	16,726	1,64,167
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	68	121	102	97	597	1,282	1,006	2,878	2,162	8,313
त्रिपुरा	12	45	158	437	255	244	368	383	203	2,105
उत्तर प्रदेश	11,784	14,269	18,846	12,584	19,955	38,039	56,946	71,504	47,229	2,91,156
उत्तराखंड	1,038	1,623	2,303	2,489	4,360	9,986	16,436	21,058	13,760	73,053
पश्चिम बंगाल	1,769	2,526	3,090	6,149	7,370	18,791	26,109	29,538	13,759	1,09,101
सकल योग	**1,11,423**	**1,54,349**	**1,98,387**	**2,05,469**	**3,06,967**	**5,90,432**	**7,38,166**	**9,32,298**	**5,56,792**	**37,94,283**

*****